

# क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर।

## सूचना

1. आवेदन ऑनलाईन करने की तिथि -18.03.2024 से 20.03.2024 (अपराहन 05.00 बजे तक) आवेदन परिवहन विभाग के बेवसाईट सिटिजन पोर्टल पर ऑनलाईन स्वीकृत किया जायेगा। विभाग द्वारा अधिसूचित मार्ग पर ही आवेदन करेंगे, अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।  
(स्थायी, प्रतिहस्ताक्षर, नवीकरण एवं वाहन प्रतिस्थापन)
2. ऑनलाईन किये गये आवेदन को कार्यालय में समर्पित करने की तिथि -दिनांक-21.03.2024 एवं दिनांक-23.03.2024 (अपराहन 04.00 बजे तक)
3. समय सारणी का प्रकाशन -25.03.2024
4. आपत्ति देने की तिथि -28.03.2024, 30.03.2024 एवं 01.04.2024 (अपराहन 04.00 बजे तक)
5. प्राधिकार की बैठक की तिथि -12.04.2024 (शुक्रवार) अपराहन 12.30 बजे।  
नोट :- (1) प्राधिकार में समर्पित किये जाने वाले आवेदन पत्र विभागीय पत्रांक-5518, दिनांक-02.09.2021 में दिये गये निदेश के आलोक में पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से अंकित हो एवं आवेदन पत्र का सभी कॉलम भरा हुआ रहना आवश्यक है। आवेदन पत्र के साथ जो शपथ पत्र दिया जाएगा, उसे विहित प्रपत्र में पूर्ण विवरण के साथ समर्पित करना होगा। साथ ही विभागीय निदेश के आलोक में सभी कागजातों को जमा करना होगा। आवेदन के साथ तीन वित्तीय वर्षों का आयकर, पेशाकर भुगतान से संबंधित साक्ष्य एवं पैन कार्ड समर्पित करेंगे, अन्यथा आपके आवेदन पत्र पर बैठक में विचार नहीं किया जाएगा।
6. **Online** समर्पित आवेदन की एक प्रति सभी वांछित कागजातों के साथ निर्धारित तिथि व समय तक कार्यालय में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
7. आपत्ति के साथ धारित परमिट (समय सारणी के साथ) की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा, अन्यथा आपत्ति स्वीकार नहीं होगी। आपत्ति से संबंधित साक्ष्य उपलब्ध कराना आपत्तिकर्ता की जिम्मेवारी होगी। प्रत्येक आपत्ति का आपत्ति शुल्क 1000.00 होगी।
8. वाहन से संबंधित सभी मान्य कागजात अद्यतन नहीं रहने की स्थिति में आवेदन पत्र को बैठक में विचार योग्य नहीं माना जाएगा।
9. आवेदन पत्र/आपत्ति की अंतिम तिथि को निर्धारित समय के बाद किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
10. आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क एवं परमिट शुल्क दोनों एक ही साथ चालान के रूप में जमा करना होगा। आवेदक अपना ई-मेल एवं मोबाईल नं० आवेदन पत्र में वर्णित करना सुनिश्चित करेंगे।
11. आवेदन पत्र में वर्णित मार्ग सरकार द्वारा अधिसूचित मार्ग के अनुरूप होगा एवं आवेदन पत्र में अधिसूचित मार्ग की सं० दर्शाना होगा। साथ ही इसकी छायाप्रति संलग्न करनी होगी।
12. बैठक की कार्यवाही के प्रकाशन के पश्चात् सभी वांछित कागजात 15 दिनों के अन्दर जमा कर परमिट प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। एक पक्ष के पश्चात् कोई दावा मान्य नहीं होगा।
13. सभी आवेदनकर्ता/आपत्तिकर्ता/विद्वान अधिवक्ता बैठक के एक घंटा पूर्व कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे।
14. सभी विद्वान अधिवक्ता अपने संबंधित वाहन स्वामी का वकालत नामा बैठक की तिथि से एक कार्यदिवस पूर्व कार्यालय में समर्पित करेंगे।

आयुक्त-सह-अध्यक्ष के आदेशानुसार

संयुक्त आयुक्त-सह-सूचिव  
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर।